

#1477

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - अन्दाका-सा-मन्दिगा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1203

दायर दिनांक

10.10.25

निर्णय दिनांक

10.10.25



क्र.स.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	अर्द्धाका आमिना	16	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी [Signature]</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर [Signature]</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>			<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अर्द्धाका-सा-मन्दिगा-आमिना खातासं. ....16..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल अर्द्धाका आमिना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अर्द्धाका-सा-मन्दिगा-आमिना-रामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.)

[Signature]

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसील तहसीलदार (भू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़